CMS/2025/939

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सुखवीर सिंह .... बनाम .... तहसीलदार ....

.... मु.नं. 501 ...... वर्ष 2025

किस्म मुकदमा .... प्रार्थना पत्र 136 LR Act ....

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
31/10/25	प्रार्थीगण सुखवीर सिंह पुत्र रतन सिंह, भागीरथी देवी पत्नी रतन सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 314, 276, 275, 170 तथा ग्राम पुरा की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 188 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां सुखवीर सिंह पुत्र रतना, भागीरथी पत्नी रतना दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः सुखवीर सिंह पुत्र रतन सिंह, भागीरथी देवी पत्नी रतन सिंह है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः सुखवीर सिंह पुत्र रतन सिंह, भागीरथी देवी पत्नी रतन सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां सुखवीर सिंह पुत्र रतना, भागीरथी पत्नी रतना के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः सुखवीर सिंह पुत्र रतन सिंह, भागीरथी देवी पत्नी रतन सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/123 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 314, 276, 275, 170 तथा ग्राम पुरा की ढाणी पटवार हल्का सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 188 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां सुखवीर सिंह पुत्र रतना, भागीरथी पत्नी रतना के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः सुखवीर सिंह पुत्र रतन सिंह, भागीरथी देवी पत्नी रतन सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/123 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अंग बनेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:19:25 IST
Reason: SelfAttested